(b) how does it compare with the figure in 1948; and

(c) what is the number of civilians among them?

The Deputy Minister of Defence (Sardar Majithia) : (a) Total number of civilian and service personnel as on 1-12-1955 was 8,347.

(b) the number on 1-12-1948 was 7507.

(c) 6,883 on 1-12-1955 and 6,259 on 1-12-1948.

Army Officers Travel Forms

633. **Sardar Hukam Singh :**
Shri Bahadur Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Form 'D' for travel by Army Officers has been discontinued; and

(b) if so, when, and for what reasons?

The Deputy Minister of Defence (Sardar Majithia) : (a) No.

(b) Does not arise.

भारत के बाहर यात्रा और दैनिक भत्ता

६३४. श्री श्री नारायण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिये जो सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधि जाते हैं उनको यात्रा व्यय और ठहरने का व्यय दिये जाने के बारे में क्या कोई स्थायी आदेश अथवा नियम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जिन सम्मेलनों आदि में केन्द्रीय सरकार अधिकृत रूप से भाग लेती है उनमें सम्मिलित होने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि-मण्डलों को विदेश भेजने का नियमन उन सरकारी आदेशों के अनुसार होता है जो ऐसे प्रत्येक अवसर पर जारी किये जाते हैं।

साधारण परिस्थिति में कर्मचारियों को उपयुक्त श्रेणी का जहाज किराया दिया जाता है और जल्दी के समय हवाई जहाज का किराया। विदेशों में जिन स्थानों पर वे ठहरते हैं वहां उन्हें रहने और खाने के खर्च के लिए दैनिक भत्ता दिया जाता है अथवा सम्बद्ध भारतीय दूतावास या मिशन उनके रहने का निःशुल्क प्रबन्ध करता है और उन्हें दैनिक भत्ते का कुछ अंश नकद दे दिया जाता है। विभिन्न स्थानों के लिए भत्ते की दर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर निश्चित की जाती है। विदेश में यात्रा करने के सम्बन्ध में उन्हें वे ही सुविधाएं दी जाती हैं जो विदेशों में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें साधारणतः प्रथम श्रेणी के अफसरों के बराबर समझा जाता है।

(ख) "फण्डामेण्टल रूल" ५१ की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है; इसमें सरकारी अफसरों को विदेश भेजने का नियमन करने के सामान्य आधार का उल्लेख है।

इस नियम के खण्ड (१) के परन्तुक (ख) की ओर और इस नियम के खण्ड (२) की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह नियम अब एक नयी संहिता के अंग के रूप में बिलकुल हाल की आवश्यकताओं के अनुसार ठीक किया जा रहा है। भारत सरकार यह नयी संहिता समय समय पर निकाले गये बाद के आदेशों का विचार करके तैयार कर रही है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का स्कूल

६३५. श्री श्री नारायण दास : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का स्कूल स्थापित करने में सरकार ने क्या सहायता दी है ?